

FORM NO.3

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत

मुकाम

बनाम

किस्म मुकदमा

न

सम

20-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वकील हाजिर P.P.D. साहब बाहर प्रचार है मिसल दिनांक 15-12-17 को पेश हो।
15-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकील वकील हाजिर। प्रम अदेश बनाया जाता है मिसल दिनांक 23-1-18 को पेश हो।
30-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वकील हाजिर। P.P. साहब बाहर प्रचार है मिसल दिनांक 15-3-18 को पेश हो।
15-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकील वकील हाजिर। प्रम अदेश बनाया जाता है मिसल दिनांक 28-4-18 को पेश हो।
<p>28-4-18 पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके अंतर् अभियान 2018 के तहत राजस्व कम में राजीनामा हेतु दिनांक 1-6-18 प्रां प कार्या के पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी सरवाइ</p>	
1.6.18	<p>पत्रावली माल सेवा केन्द्र कारिर में पेश हुई। पराकार के वकील अभिभाषक हाजिर। सुना गया। पत्रावली का भवलीकन किमा गया। संक्षेप में उकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुराकी जमाबंदी संवत् 2068-71, खाता सं. नमा - पुराना 81, 117, खसरा नं. 297 रकबा 0.12.00 बरानी 2, बरजी बेवा रामा प्रहलाद वन्द रामा कौम जाट की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि खोराडा अराई के परिकरी दिशा के मध्य में स्थित है तथा ग्राम कारीर के खसरा नं. 735 व 736 के बीच में खसरा नं. 297 स्थित है इस आराजी से अजाम गिण का कोई लेमा देमा नही है सीमाज्ञान भी मू. अभिलेख निरीक्षक खोराडा से कर दिया गया है।</p>

किंतु प्रतिवादीगण ने दिनांक 9.6.16 को वादी का निवेदन  
 उपरान्त भी कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया।  
 उक्त प्रवेद्य कब्जे को हटवाना न्याय संगत है। प्रजागण का  
 प्रथम दृष्टिमा मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी  
 प्रजागण के पक्ष में है। अतः मुल वाद के निस्तारण तक प्रजागण  
 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन  
 किया। मैने फावली का अवलोकन किया। पत्रकारण को  
 सुना। पत्रकारण में अन्तः प्रकरण 54/16 अन्तर्गत धारा  
 212 RTA का इली न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें  
 वेवाद्युस्त भाराजी ग्राम काशीर की जमाबंदी संवत् 2067-70  
 के खाता सं. नम्रा-पुराना 60-64, 127-123, 211-186,  
 खसरा नं. कुमरा: 736, 736/1, 977/736, रकबा कुमरा:  
 3.16 बिघा, 3.16 बिघा, 3.16 बिघा का विचाराधीन है।  
 उक्त मामले में वादीगण और इस प्रकरण में प्रतिवादी है। न इस प्रकरण  
 के वादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने  
 का निवेदन किया है।

वस्तुतः दोनो प्रकरणों में पत्रकारों को जाप-चौक का  
 विवाद होने के कारण उत्पन्न हुआ मामला है। अतः प्रजागण  
 संख्या 7 तहसीलदार सरवाड़ को तहरीर जारी हो कि व  
 अनुमती पटवारीयो / गिरदावर की टीम नियुक्त करे।  
 और श्रीरामपुरा के खसरा नं. 297 रकबा 0.12.00 बिघा  
 तथा ग्राम काशीर के खसरा नं. 736, 736/1, 977/736 का  
 सीमांकन चारो तरफ से मुस्तकिल पोईर से किया जावे।  
 यह समस्त कार्यवाही 5 दिवस की समयवधि में पूर्ण  
 की जावे। ~~सुननामा प्रपरा-2~~ ~~वहन करे।~~  
 हेतु प्रजागण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से  
 मुल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है।  
 यह प्रार्थना पत्र एक अधिकार का निर्णायक नहीं है।  
 एक अधिकार का प्रश्न वाद लहास्त मुल वाद में तम होगा।  
 वर्यी फरिक्न प्रपरा-2 वहन करे। आदेश सुनने ~~न्यायालय~~  
 में सुनाया गया।

पुध  
 लोक अदालत शिविर  
 सरवाड़ (जमर)

लोक अदालत शिविर  
 सरवाड़ (जमर)

अध्यक्ष  
 लोक अदालत शिविर  
 सरवाड़ (जमर)